बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

पत्रांक–वि० प्रा० एवं त० शि (IX) विविध 11/24 – 2667 दिनांक– 20/4/25

प्रेषक,

मोनिका ठाकुर,
विशेष कार्य पदाधिकारी
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद
बिहार पटना।
परियोजना निदेशक,
बी० सी० एस० टी०, पटना।
बिहार पटना।
प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य,
सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं
राजकीय पॉलिटेकनिक संस्थान।

विषय:– महिला संवाद कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में।

प्रसंग:– ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक– 3885510 दिनांक–27.03.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध मे कहना है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रियान्वित योजनाओं / कार्यों एवं सरकार के स्तर पर योजनाओं के सृजन एवं नीति निर्धारण में महिलाओं की अकांक्षाओं को बेहतर ढंग से समाहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी प्रति उपलब्ध करायी जा रही है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन
M
26/04/25
विशेष कार्य पदाधिकारी,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 3085570 / पटना, दिनांक 27/03/2025

ग्रा0वि0-06-NRLM(8)-03/2024

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
बिहार ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय : ग्राम संगठन स्तर पर महिला संवाद कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में।

आप सभी अवगत हैं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रियान्वित योजनाओं/कार्यों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आये सकारात्मक बदलाव पर विस्तृत संवाद किये जाने एवं सरकार के स्तर पर योजनाओं के सृजन एवं नीति निर्धारण में महिलाओं की आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से समाहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है । महिला संवाद का आयोजन अप्रैल,2025 के मध्य से ग्राम संगठन स्तर पर किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित सभी महिलाओं को भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाना है ।

राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस प्रयास किए गये हैं एवं साथ ही उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं से खुले रूप से सार्थक चर्चा एवं संवाद स्थापित करना है ताकि महिलाएँ अपने गाँव या टोलो की समस्याओं एवं आकांक्षाओं को चिन्हित कर उनके समाधान के सम्बंध में अपना अभिमत सहज तरीके से उपलब्ध करा सकें तथा साथ ही सामाजिक विकास से सम्बंधित मुद्दों पर भी अपना मंतव्य प्रदान कर सकें।

महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण से सम्बंधित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के विषय में जागरूकता हेतु एल.ई.डी स्क्रीन युक्त जागरूकता वाहन के माध्यम से फिल्मों की प्रदर्शनी भी की जाएगी । कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को जागरूक करने हेतु महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं से सम्बंधित लीफलेट भी वितरित की जाएगी । कार्यक्रम में ऐसी योजनाओं से लाभान्वित लाभुकों द्वारा अनुभव भी साझा किया जाएगा ताकि महिलाएँ विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक हो सकें और अपना समुचित लाभ उठा सकें एवं एक समृद्ध गाँव की परिकल्पना

साकार हो सके। महिला संवाद कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर किसी प्रकार की प्रदर्शनी, स्टॉल इत्यादि स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है । महिला संवाद कार्यक्रम की रूपरेखा संलग्न है।

उक्त कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु आवश्यक है कि जिला पदाधिकारी के स्तर पर सम्पूर्ण कार्यक्रम का समुचित अनुश्रवण किया जाय । इसके सफल आयोजन हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:-

1. वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
2. उप विकास आयुक्त
3. अपर समाहर्त्ता
4. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
5. जिला शिक्षा पदाधिकारी
6. जिला कृषि पदाधिकारी
7. जिला पंचायत राज पदाधिकारी
8. जिला पशुपालन पदाधिकारी
9. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
10. जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका)
11. जिला पदाधिकारी द्वारा नामित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी

- जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति विभिन्न जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय कर महिला संवाद कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन एवं इसके विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेगी ।
- जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की जायेगी ।
- जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में इसके आयोजन हेतु विस्तृत कार्य-योजना तैयार की जाएगी एवं तैयार की गई कार्य योजना को ग्रामीण विकास विभाग को भेजा जाएगा।
- जिला पदाधिकारी द्वारा महिला संवाद के दौरान विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये जाएंगे ।
- अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत महिला संवाद कार्यक्रम का नियमित पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे ।
- विभिन्न स्थानों पर जागरूकता वाहन के ठहराव हेतु पुलिस अधीक्षक के साथ समन्वय से समुचित व्यवस्था की जायेगी ।

Scanned with OKEN Scanner

- कार्यक्रम के सुचारु रूप से संचालन हेतु जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा । यह कक्ष [illegible] के अनुसार कार्यक्रम का संचालन, अनुश्रवण एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा ।
- जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के सदस्य बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे एवं बैठक में लिए गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

<u>प्रखंड स्तर पर अनुश्रवण हेतु किए जाने वाले कार्य-</u>

प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति की संरचना निम्नवत् होगी-

1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, संयोजक
2. अंचल अधिकारी
3. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
4. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
5. थानाध्यक्ष
6. प्रखंड पंचायत [illegible] पदाधिकारी
7. प्रखंड परियोजना प्रबंधक (जीविका)
8. जिला पदाधिकारी द्वारा नामित अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी

- प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी ग्राम संगठनों के स्तर पर महिला संवाद आयोजन का पूर्ण अनुश्रवण करेगी । प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक पंचायत स्तर पर संवाद आयोजन दल हेतु एक सरकारी पदाधिकारी को भी नामित किया जायेगा । प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में सभी सदस्य अनिवार्य रूप से भाग लेंगे ।
- महिला संवाद आयोजन हेतु सभी प्रकार की व्यवस्था की जिम्मेवारी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति की प्रखंड इकाई की होगी । प्रखंड इकाई, प्रत्येक पंचायत में आने वाले सभी ग्राम संगठनों में महिला संवाद आयोजन हेतु एक दल का गठन करेगी एवं उनको प्रशिक्षित करेगी। साथ ही महिला संवाद आयोजन हेतु रोस्टर निर्माण कर संवाद आयोजन स्थल का चुनाव करेगी। प्रखंड इकाई द्वारा महिला संवाद का आयोजन कराया जाएगा एवं महिला संवाद में भाग लेने वाले वाले सभी प्रतिभागियों को [illegible] रुपए की दर से अल्पाहार की व्यवस्था की जाएगी । महिला संवाद आयोजन में होने वाले व्यय हेतु राशि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा सम्बंधित सामुदायिक संगठनों को उपलब्ध करायी जाएगी ।

➢ महिला संवाद के दौरान प्राप्त परामर्श को संकलित किया जायेगा एवं इसको इस हेतु विकसित MIS में प्रविष्टि किया जायेगा। इसके उपरांत उसे जिला स्तरीय समिति को प्रेषित किया जायेगा। तदुपरांत जिला स्तरीय समिति इसका संकलन कर समेकित प्रतिवेदन राज्य स्तर को प्रेषित करेगी। संवाद के दौरान प्राप्त परामर्श एवं सुझावों की हार्ड कॉपी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सुरक्षित रूप से संधारित किया जायेगा ।

अनुलग्नक-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

26.3.25

(मुख्य सचिव)

बिहार

ज्ञापांक [illegible] / पटना, दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि-पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26.3.25

(मुख्य सचिव)

ज्ञापांक [illegible] / पटना, दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि- सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि विभाग/प्रमंडल के स्तर से अपने जिला स्तरीय एवं अधीनस्थ पदाधिकारियों की सहभागिता हेतु निदेश देने की कृपा करें ।

26.3.25

(मुख्य सचिव)

ग्राम संगठन स्तर पर महिला संवाद की समय सारिणी

क्रम	समयावधि	गतिविधि	पद्धति	सामग्री/संबंधित व्यक्ति
1	05 मिनट	[illegible]	भाषण	प्रखंड परियोजना प्रबंधक/क्षेत्रीय समन्वयक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
2	45 मिनट	महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा किये गए कार्यों की उपलब्धि एवं योजनाओं की जानकारी	ऑडियो- विजुअल भाषण	वीडियो, लीफलेट
3	20 मिनट	उत्कृष्ट कार्य एवं उपलब्धि से संबंधित स्थानीय महिलाओं द्वारा अनुभव साझा किया जाना ।	भाषण	
4	45 मिनट	विभिन्न विषयों पर महिलाओं की समस्याओं, अपेक्षाओं पर संवाद एवं परामर्श तथा सुझावों को अभिलेखित करना ।	सामूहिक चर्चा	निर्धारित प्रपत्र
5	05 मिनट	धन्यवाद ज्ञापन		संबंधित सामुदायिक समन्वयक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner